रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 194] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 24, 1972/श्रावण 2, 1894

No. 194] NEW DELHI, MONDAY, JULY 24, 1972/SRAVANA 2, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 24th July 1972

S.S.R. 347(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rule, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 60/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972, the Central Government hereby exempts yarn falling under Item No. 18E of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and specified in column (2) of the Table hereto annexed from so much of the duty leviable thereon as

is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) thereof:—

THE TABLE

S.No.	Description	Duty
(1)	(2)	(3)
		Rupees per kilogram
1.	Yarn containing partly synthetic staple fibre of non-cellulosic origin other than acryolic fibre and partly any other fibre or fibres, the content of such synthetic staple fibre being more than 50 per cent. by weight of such yarn—	
	If non-cellulosic fibre content of it is—	
	(i) 60 per cent. or more	15·00
	(ii) more than 56 per cent. but less than 60 per cent.	12·—
	(iii) more than 50 per cent but not more than 56 per cent. . . .	10·00
2.	Yarn containing partly synthetic staple fibre of cellulosic origin and/ or cotton and partly wool and/or synthetic staple fibre of non-cellulosic origin, provided that the content of synthetic staple fibre of cellulosic origin and/or cotton is more than 50 per cent. by weight of such yarn—	
	if the non-cellulosic fibre content and /or wool fibre content of it is—	
	(i) 40 percent or more, but less than 50 per cent.	8·00
	(ii) 20 per cent or more, but less than 40 per cent.	6·00
	(iii) less than 20 per cent. .—	4·00
3.	Yarn containing partly wool and/or acrylic fibre and partly any other fibre or fibres, provided that the wool and/or acrylic fibre content is more than 50 per cent by weight of such yarn—	
	(1) Worsted yarn—	
	(a) Hand knitting—	
	(i) grey	1·38
	(ii) Processed and/or dyed	7·15
	(b) Hair belting yarn	0·83
	(c) Others—	
	(i) of 40 counts and above	11·30
	(ii) of above 20 counts but below 40 counts	5·58
	(iii) of 20 counts and below	1·38
	(2) Yarn (containing not less than 60 percent of wool and not more than 5 percent of virgin wool) commonly known as shoddy.	0·56
	(3) All others	1·35
4.	Yarn containing partly silk fibre and partly any other fibre or fibres, provided that the silk fibre content is more than 50 per cent by weight of such yarn.	15·00

(1)	(2)	(3)
6.	Yarn containing two or more of (a) synthetic staple fibre of cellulosic origin, (b) jute and (c) cotton, provided that the jute content, if any, is less than 50 per cent by weight of such yarn—	
	(i) of 69 or more counts	1·50
	(ii) of 51 or more counts but less than 69 counts	1·25
	(iii) of 40 or more counts but less than 51 counts.	1·10
	(iv) of 34 or more counts but less than 40 counts	0·80
	(v) of 29 or more counts but less than 34 counts	0·70
	(vi) of 22 or more counts but less than 29 counts	0·32
	(vii) of 14 or more counts but less than 22 counts	0·20
	(viii) of less than 14 counts	0·10
6.	Yarn containing partly jute and partly any other fibre or fibres (other than cotton fibre and synthetic staple fibre of cellulosic origin), provided that the jute content is more than 50 per cent. by weight of such yarn.	0·60
7.	Yarn, not otherwise specified.	10·00

Provided that in the case of yarn mentioned against Serial Numbers 1(iii), 2, 4 and 7 of the aforesaid Table, the duty shall be reduced further by two rupees per kilogram if such yarn is of 34 counts or less.

Explanation.—For the purposes of this notification—

(i) the term "jute" shall include "Bimlipatam jute and mesta fibre";

(ii) the term "count" means 'New French Count";

[No. 168/72.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1972

सा० का० नि० 347 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 60/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18-क के अन्तर्गत आने वाले सूत को, जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, उस पर उद्ग्रहणीय उतने शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना उस

सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है :—

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क
(1)	(2)	(3)
		रुपये प्रति किलोग्राम
1.	सूत, जिसमें भागतः एक्रिलिक तन्तु से भिन्न असैलूलोसी उद्भव का संश्लिष्ट रेशा-तन्तु और भागतः कोई अन्य तन्तु हो या हों, और ऐसे संश्लिष्ट रेशा-तन्तु की मात्रा ऐसे सूत के भार के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक हो—	
	यदि उसमें असैलूलोसी तन्तु की मात्रा—	
	(i) 60 प्रतिशत या उससे अधिक हो	15.00
	(ii) 56 प्रतिशत से अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम हो	12.00
	(ii$_1$) 50 प्रतिशत से अधिक किन्तु 56 प्रतिशत से अनधिक हो	10.00
2.	सूत, जिसमें भागतः सैलूलोसी उद्भव का संश्लिष्ट रेशा-तन्तु और/या कपास हो और भागतः ऊन और/या असैलूलोसी उद्भव का संश्लिष्ट रेशा-तन्तु हो, परन्तु यह तब जब कि सैलूलोसी उद्भव के संश्लिष्ट रेशा-तन्तु और/या कपास की मात्रा ऐसे सूत के भार के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक हो—	
	यदि उसके असैलूलोसी तन्तु की मात्रा और/या उसमें ऊन-तन्तु की मात्रा—	
	(i) 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो किन्तु 50 प्रतिशत से अनधिक हो	8.00
	(ii) 20 प्रतिशत या उससे अधिक हो किन्तु 40 प्रतिशत से कम हो	6.00
	(iii) 20 प्रतिशत से कम हो	4.00
3.	सूत, जिसमें भागतः ऊन और/या एक्रिलिक तन्तु और भागतः कोई अन्य तन्तु हो या हों, परन्तु यह तब जब कि उसमें ऊन और/या एक्रिलिक तन्तु की मात्रा ऐसे सूत के भार के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक हो—	
	(1) वर्सटेड सूत—	
	(क) हाथ की बुनाई का—	
	(i) भूरा	1.38
	(ii) प्रसंस्कृत और/या रंगा हुआ . . .	7.15

(1)	(2)	(3)
	(ख) हेयर बैल्टिंग सूत	0.83
	(ग) अन्य--	
	(i) 40 काउन्ट और अधिक का . .	11.30
	(ii) 20 काउन्ट से अधिक किन्तु 40 काउन्ट से कम का	5.58
	(iii) 20 काउन्ट और कम का . . .	1.38
	(2) सूत (जिसमें 60 प्रतिशत से अन्यून ऊन और 5 प्रतिशत से अनधिक प्राकृतिक ऊन हो) जो साधारणतया शाडी कहलाता है .	0.56
	(3) अन्य सभी	1.35
4.	सूत, जिसमें भागत: रेशम तन्तु और भागत: कोई अन्य तन्तु हो या हों, परन्तु यह तब जब कि रेशम तन्तु की मात्रा ऐसे सूत के भार के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक हो	15.00
5.	सूत जिसमें (क) सैलूलोसी उद्भव का सश्लिष्ट रेशा तन्तु, (ख) पटसन और (ग) कपास में से दो या दो से अधिक हों, परन्तु यह तब जब कि पटसन की मात्रा, यदि कोई हो, ऐसे सूत के भार के अनुसार 50 प्रतिशत से कम हो--	
	(i) 69 या उससे अधिक काउन्ट का . . .	1.50
	(ii) 51 या उससे अधिक काउन्ट का किन्तु 69 काउन्ट से कम का .	1.25
	(iii) 40 या उससे अधिक काउन्ट का किन्तु 51 काउन्ट से कम का	1.10
	(iv) 34 या उससे अधिक काउन्ट का किन्तु 40 काउन्ट से कम का .	0.80
	(v) 29 या उससे अधिक काउन्ट का किन्तु 34 काउन्ट से कम का	0.70
	(vi) 22 या उससे अधिक काउन्ट का किन्तु 29 काउन्ट से कम का	0.32
	(vii) 14 या उससे अधिक काउन्ट का किन्तु 22 काउन्ट से कम का	0.20
	(viii) 14 काउन्ट से कम का	0.10
6.	सूत, जिसमें भागत: पटसन और भागत: कोई अन्य तन्तु (जो कपास तन्तु और सैलूलोसी उद्भव के सश्लिष्ट रेशा-तन्तु से भिन्न हो) हो या हों, परन्तु यह तब जब कि पटसन की मात्रा, ऐसे सूत के भार के अनुभार 50 प्रतिशत से अधिक हो	0.60
7.	सूत, जो अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो	10.00

परन्तु पूर्वोक्त सारणी की क्रम सं० 1 (iii), 2, 4 और 7 के सामने वर्णित सूत की दशा में, शुल्क में, यदि ऐसा सूत 34 काउन्ट का या उससे कम का हो, दो रुपए प्रति किलोग्राम की कमी और कर दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए :—

(i) "पटसन" शब्द के अन्तर्गत 'भीमली पट्टम पटसन और मेस्ता तन्तु' भी हैं;

(ii) "काउन्ट" शब्द से "नया फ्रेंच काउन्ट" अभिप्रेत है ।

[सं० 168/72]

G.S.R. 348(E).—In pursuance of rule 96W of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that for the words, figures and brackets "yarn containing partly more than 40 per cent. by weight of coton and partly any other fibre or fibres, the wool or silk content being less than 40 per cent. by weight of such yarn (where such yarn contains wool or silk)" occurring in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 62/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972, the words, brackets, letters and figures "yarn containing two or more of (a) synthetic staple fibre of cellulosic origin, (b) jute (including Bimlipatam jute or mesta fibre) and (c) cotton, wherein the jute (including Bimlipatam jute or mesta fibre) content, if any, being less than 50 per cent. by weight of such yarn" shall be substituted.

[No. 169/72.]

सा०का०नि० 348 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96ब के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 62/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 में आने वाले "ऐसे धागे की बाबत, जिसमें भागतः सूत भार में 40 प्रतिशत से अधिक हो, और भागतः कोई अन्य फाइबर हो या हों और जिसमें ऊन या रेशम की मात्रा ऐसे धागे (जहां कि ऐसे धागे में ऊन या रेशम हो) के भार के 40 प्रतिशत से कम हो," शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "ऐसे सूत की बाबत, जिसमें (क) सैलूलोसी उद्भव का संश्लिष्ट रेशा-तुन्तु, (ख) पटसन (जिसके अन्तर्गत भीमली पट्टम का पटसन या मेस्ता तुन्तु भी है) और (ग) कपास में से दो या दो से अधिक हों और जिसमें पटसन (जिसके अन्तर्गत भीमली पट्टम का पटसन या मेस्ता तन्तु भी है) की मात्रा, यदि कोई हो, ऐसे सूत के भार के अनुसार 50 प्रतिशत से कम हो," शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 169/72]

G.S.R. 349(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excises Rules, 1944, the Central Government hereby directs that the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) specified in column (2) of the Table hereto

annexed shall be amended in the manner specified in column (3) of the said Table.

THE TABLE

S. No.	Notification number and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	52/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.	In the Table annexed to the said notification, in column (2) against S. No. 2, for the words "and partly any other fibre or fibres", the words and brackets "and partly any other fibres (including acrylic fibre or fibre)" shall be substituted.
2.	54/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.	In the Table annexed to the said notification, for the existing entry in column (2) against S. No. 2, the following entry shall be substituted, namely :— "Woollen yarn, containing not more than 5 per cent. of virgin wool, commonly known as shoddy".
3.	63/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972. 64/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.	In each of the said notifications for the words figures and brackets "yarn containing partly more than 40 per cent. by weight of cotton and partly any other fibre or fibres, the wool or silk content being less than 40 per cent. by weight of such yarn (where such yarn contains wool or silk)," the words, brackets letters and figures yarn containing two or more of (a) synthetic stable fibre of cellulosic origin (b) jute (including Bimlipatam jute or mesta fibre) and (c) cotton, wherein the jute (including Bimlipatam jute or mesta fibre) content, if any, being less than 50 per cent. by weight of such yarn" shall be substituted.

(No. 170/72]

सा० का० नि० 349 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि इससे उपाबद्ध सारणी स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा

विभाग) की अधिसूचनाओं में उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किए जाएंगे ।

सारणी

क्र० सं०	अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	52/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, स्तम्भ (2) में, क्र० सं० 2 के सामने, "और भागतः किसी अन्य फाइबर या फाइबरों" शब्दों के स्थान पर, "और भागतः किसी अन्य तन्तु या तन्तुओं (जिनके अन्तर्गत एकिलिक तन्तु भी है)" शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।
2.	54/72 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्र सं० 2 के सामने स्तम्भ (2) में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— "ऊनी सूती, जिसमें 5 प्रतिशत से अनधिक प्राकृतिक ऊन हो, जो साधारणतया शाली कहलाता है" ।
3.	63/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 । 64/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 17 मार्च, 1972 ।	उक्त अधिसूचनाओं में से प्रत्येक में, "धागे को, जिसमें भागतः भार में 40 प्रतिशत से अधिक सूत और भागतः कोई अन्य फाइबर हो या हों, तथा ऊन या रेशम की मात्रा ऐसे धागे के (जहां ऐसे धागे में ऊन या रेशम लगा हो) भार के 40 प्रतिशत से कम हो" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "सूत को, जिसमें (क) सैलूलोसी उद्भव का संश्लिष्ट रेशा-तन्तु (ख) पटसन (जिसके अन्तर्गत भीमली पट्टम का पटसन या मेस्ता तन्तु भी है) और (ग) कपास में से दो या दो से अधिक हों और जिसमें पटसन (जिसके अन्तर्गत भीमली

(1)	(2)	(3)
		पट्टम का पटसन या मेस्ता तन्तु भी है) की मात्रा, यदि कोई हो, ऐसे सूत के भार के अनुसार 50 प्रतिशत से कम हो" शब्द कोष्ठक, अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 170/72]

G.S.R. 350(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 65/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.

[No. 171/72.]

सा० का० नि० 350 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 65/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 को एतद्द्वारा विखण्डित करती है ।

[सं० 171/72]

G.S.R. 351(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts waste yarn (hard waste) falling under Item No. 18E of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from the whole of the duty of excise leviable thereon. ;

Explanation.—For the purposes of this notification—

(a) "waste yarn" in the case of yarn containing more than 40 per cent. of cotton and partly any other fibre or fibres, wherein the wool or silk content, if any, being less than 40 per cent. by weight shall mean,—

(i) short lengths of such yarn in tangled mass not capable of being disentangled without considerable labour; or

(ii) short lengths, not exceeding three metres, of such yarn even if they are not in the form of an entangled mass; or

(iii) yarn not exceeding three metres in length, in loom beam ends commonly known as "lap-waste" or "Antri";

(b) waste yarn", in the case of yarn containing 40 per cent. or more by weight of wool, shall be—

(i) irregular in shape;

(ii) loosely spun;

(iii) established by visual examination and handling that the yarn is incapable of being directly used for weaving into fabrics; and

(iv) packed in gunny bags.

[No. 172/72.]

सा० का० नि० 351 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18ङ के अन्तर्गत आने वाले अपशिष्टि सूत (हार्ड वेस्ट) को उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए—

(क) "अपशिष्टि सूत" से, ऐसे सूत की दशा में जिसमें 40 प्रतिशत से अधिक कपास और भागतः कोई अन्य तन्तु हो या हों और जिसमें ऊन या रेशम की मात्रा, यदि कोई हो, भार के अनुसार 40 प्रतिशत से कम हो, निम्नलिखित अभिप्रेत है :—

(i) उलझे स्थूल में ऐसे सूत की कम लम्बाई जो पर्याप्त श्रम के बिना सुलझाया नहीं जा सकता; या

(ii) ऐसे सूत की कम लम्बाई, जो तीन मीटर से अधिक न हो, यद्यपि वे उलझे स्थूल के रूप में न हो; या

(iii) लूप तीर के सिरों में का ऐसा सूत जिसकी लम्बाई तीन मीटर से अधिक न हो, जिसे सामान्यतया "लैप-वेस्ट" या "अन्तड़ी" के नाम से जाना जाता है;

(ख) "अपशिष्टि सूत" से, ऐसे सूत की दशा में, जिसमें ऊन भार के अनुसार 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, निम्नलिखित अभिप्रेत है :—

(i) आकार में असम;

(ii) ढीला कता;

(iii) दृश्य परीक्षा और देखभाल करने से यह सिद्ध हो गया हो कि सूत का, तन्तुकृतों के रूप में बुनाई के लिए सीधे प्रयोग नहीं किया जा सकता; और

(iv) टाट के बोरे में पैक किया हुआ ।

[सं० 172/72]

G.S.R. 352(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. These rules may be called the Central Excise (Ninth Amendment) Rules, 1972.

2. In the Central Excise Rules, 1944, after rule 96E, the following rule shall be inserted, namely:—

"96EE. *Procedure for removal of yarn (other than cotton yarn or jute yarn) from one factory to another without payment of duty.*—(1) Any yarn, other than cotton yarn or jute yarn, as may be specified by the Central Government by notification in the Official Gazette (hereinafter referred to as the said yarn), may be removed without payment of duty from one factory to another factory of the same manufacturer for the purpose of manufacture of cotton fabrics subject to the observance of the procedure hereinafter prescribed.

(2) For the purposes of this rule, "factory" means a factory working with the aid of power in which—

(a) the said yarn is spun; or

(b) the said yarn is spun and cotton fabrics are woven; or

(c) only cotton fabrics are woven and the duty thereon is paid on square metre, *ad valorem* or weight basis, as the case may be.

(3) When the said yarn is removed from one factory to another factory of the same manufacturer, the consignor shall, before the goods are removed, enter into a bond and follow the procedure required by rules 153, 156-A and 156-B as modified by rule 173-N:

Provided further that, in the event of death, insolvency or insufficiency of rule to remove the said yarn from one factory to another factory of the same manufacturer, to enter into a general bond with such surety or sufficient security, in such amount, and under such conditions as the Collector approves, for the removal, from time to time, of any goods from one factory to another factory aforesaid, and for the due arrival and receipt thereof at the factory of destination within such time as the proper officer directs:

Provided further that, in the event of death, insolvency or insufficiency or the surety or where the amount of bond is inadequate, the Collector may, in his discretion, demand a fresh bond, and may, if the security furnished for a bond is not adequate, demand additional security."

[No. 173/72.]

सा० का० नि० 352 (**अ**).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (नवां संशोधन) नियम, 1972 होगा ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में, नियम 96ङ के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"96ङङ सूत (**कपास के सूत या पटसन के सूत से भिन्न**) **को एक कारखाने से दूसरे कारखाने को, शुल्क का संदाय किये बिना हटाने के लिए प्रक्रिया** :—

(1) कपास के सूत या पटसन के सूत से भिन्न किसी सूत को (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सूत कहा गया है), जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उसी विनिर्माता के एक कारखाने से दूसरे कारखाने को कपास के तन्तुकृतों का विनिर्माण करने के प्रयोजन के लिए शुल्क का संदाय किए बिना हटाया जा सकेगा जो इसमें इसके पश्चात् विहित प्रक्रिया के अनुपालन के अधीन होगा ।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "कारखाने" से ऐसा कारखाना अभिप्रेत है जिसमें शक्ति की सहायता से काम किया जाता है और जिसमें—

(क) उक्त सूत काता जाता है ; या

(ख) उक्त सूत काता जाता है और कपास के तन्तु कृत बुने जाते हैं ; या

(ग) केवल कपास के तन्तुकृत बुने जाते है और उन पर शुल्क का संदाय, यथास्थिति, मूल्यानुसार या भार के आधार पर वर्गमीटर के अनुसार किया जाता है ।

(3) यदि उक्त सूत उसी विनिर्माता के एक कारखाने से दूसरे कारखाने को हटाया गया हो तो परेषक, ऐसे माल को हटाने से पहले बन्धपत्र का निष्पादन करेगा और नियम 173 ङ द्वारा यथा उपान्तरित नियम 153, 156 क और 156 ख द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया का पालन करेगा :

परन्तु कलैक्टर किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसी विनिर्माता के एक कारखाने से दूसरे कारखाने को उक्त सूत के हटाने के लिए इस नियम के अधीन हकदार है, ऐसी रकम के लिए, और ऐसी शर्तों के अधीन जिनका कलैक्टर अनुमोदन करे, ऐसे प्रतिभू या पर्याप्त प्रतिभूति सहित साधारण बन्धपत्र का निष्पादन करने की अनुज्ञा, समय समय पर पूर्वोक्त एक कारखाने से दूसरे कारखाने को किसी माल को हटाने के लिए, और ऐसे समय के भीतर जिसे उचित अधिकारी निर्दिष्ट करे गन्तव्य कारखाने में उसके समयक रूप से पहुंचने और प्राप्त करने के लिए दे सकेगा :

परन्तु यह और कि प्रतिभू की मृत्यु, दिवाला या अपर्याप्तता की दशा में या जहां बन्धपत्र की रकम अपर्याप्त हो, कलैक्टर अपने विवेकानुसार नए बन्धपत्र की मांग कर सकेगा और यदि बन्धपत्र के लिए दी गई प्रतिभूति पर्याप्त न हो तो वह अतिरिक्त प्रतिभूति की मांग कर सकेगा।"

[सं० 173/72]

G.S.R. 353(E).—In exercise of the powers conferred by rule 96EE of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby specifies that the procedure laid down in that rule shall apply to yarn containing two or more of (a) synthetic staple fibre of cellulosic origin, (b) jute (including Bimlipatam jute or mesta fibre) and (c) cotton, wherein the jute (including Bimlipatam jute or mesta fibre) content, if any, is less than 50 per cent. by weight of such yarn and falling under Item No. 18E of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

[No. 174/72.]

सा० का० नि० 353 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96 ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि उस नियम में अधिकथित प्रक्रिया ऐसे सूत को लागू होगी, जिसमें (क) सैलूलोसी उद्भव का संश्लिष्ट रेशा तन्तु, (ख) पटसन (जिसके अन्तर्गत भीमली पट्टम का पटसन या मेस्ता तन्तु भी है) और (ग) कपास में से दो या दो से अधिक हों और जिसमें पटसन (जिसके अन्तर्गत भीमली पट्टम का पटसन या मेस्ता तन्तु भी है) की मात्रा, यदि कोई हो, ऐसे सूत के भार के अनुसार 50 प्रतिशत से कम हो और जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18 ङ के अन्तर्गत आता है ।

[सं० 174/72]

G.S.R. 354(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 106/70-Central Excise, dated the 1st May, 1970, the Central Government hereby exempts processed rayon and artificial silk fabrics falling under sub-item (1) of Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and specified in column (1) of the Table hereto

annexed from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

THE TABLE

Description	Rate of duty
(1)	(2)
Processed rayon or artificial silk fabrics whose value per square metre—	
(i) does not exceed Rs. 3·00 . . .	2% *ad valorem*
(ii) exceeds Rs. 3·00 but does not exceed Rs. 4·00	6 paise per square metre *plus* 8% of the differential amount between value of the fabric per square metre and Rs. 3·00 per square metre.
(iii) exceeds Rs. 4·00 but does not exceed Rs. 5·00	14 paise per square metre *plus* 9% of the differential amount between the value of the fabric per square metre and Rs. 4·00 per square metre.
(iv) exceeds Rs. 5·00 but does not exceed Rs. 6·00	23 paise per square metre *plus* 17% of the differential amount between the value the fabric per square metre and Rs. 5·00 per square metre.
(v) exceeds Rs. 6·00 but does not exceed Rs. 7·00	40 paise per square metre *plus* 18% of the differential amount between the value of the fabric per square metre and Rs. 6·00 per square metre.
(vi) exceeds Rs. 7·00 but does not exceed Rs. 8·00	58 paise per square metre *plus* 18% of the differential amount between the value the fabric per square metre and Rs. 7·00 per square metre.
(vii) exceeds Rs. 8·00 but does not exceed Rs. 9·00	76 paise per square metre *plus* 13% of the differential amount between the value of the fabric per square metre and Rs. 8·00 per square metre.
(viii) exceeds Rs. 9·00 but does not exceed Rs. 10·00	89 paise per square metre *plus* 11 % of the differential amount between the value of the fabric per square metre and Rs. 9·00 per square metre.
(ix) exceeds Rs. 10·00	9·5% *ad valorem*.

Provided that the duty payable on each consignment of rayon or artificial silk fabrics shall be reduced by five per cent. if such fabrics are cleared from the processing factory without cutting any fents, rags chindies or any portion of these fabrics, whether damaged or not:

Provided further that nothing contained in this notification shall apply to fents.

Explanation.—For the purpose of this notification,—

(i) the expression "processed" means all processes which are ordinarily carried on with the aid of power or steam other than the process of calendering with plain rollers;

(ii) the expression "fents" means *bona fide* cut pieces which are 92 centi metres or more but not exceeding 1.5 metres in length and which are damaged in the body of the fabric and not merely at the edges.

[No. 175/72.]

'सा० का० नि० 354 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 106/70-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मई, 1970 को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार, कन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 22 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले प्रसंस्कृत रेयन और कृत्रिम रेशम के तन्तुकूत को, जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट हैं, उनपर उदग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टी में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है ।

सारणी

वर्णन	शुल्क की दर ।
(1)	(2)
ऐसे प्रसंस्कृत रेयन या कृत्रिम रेशम के तन्तुकूत जिनका मूल्य प्रति वर्गमीटर—	
(i) 3.00 रु० से अधिक नहीं है	2 प्रतिशत मूल्यानुसार ।
(ii) 3.00 रु० से अधिक है किन्तु 4.00 रु० से अधिक नहीं है	6 पैसे प्रति वर्गमीटर और तन्तुकृत के प्रति वर्गमीटर मूल्य और 3.00 रु० प्रति वर्गमीटर के बीच के अन्तर की रकम का 8 प्रतिशत ।
(iii) 4.00 रु० से अधिक है किन्तु 5.00 रु० से अधिक नहीं है	14 पैसे प्रति वर्गमीटर और तन्तुकृत के प्रति वर्गमीटर मूल्य और 4.00 रु० प्रति वर्गमीटर के बीच के अन्तर की रकम का 9 प्रतिशत ।
(iv) 5.00 रु० से अधिक है किन्तु 6.00 रु० से अधिक नहीं है	23 पैसे प्रति वर्गमीटर और तन्तुकृत के प्रति वर्गमीटर मूल्य और 5.00 रु० प्रति वर्गमीटर के बीच के अन्तर की रकम का 17 प्रतिशत ।

(1)	(2)
(v) 6.00 रु० से अधिक है किन्तु 7.00 रु० से अधिक नहीं है	40 पैसे प्रति वर्गमीटर और तन्तुकृत के प्रति वर्गमीटर मूल्य और 6.00 रु० प्रति वर्गमीटर के बीच के अन्तर की रकम का 18 प्रतिशत ।
(vi) 7.00 रु० से अधिक है किन्तु 8.00 रु० से अधिक नहीं है	58 पैसे प्रति वर्गमीटर और तन्तुकृत के प्रति वर्गमीटर मूल्य और 7.00 रु० प्रति वर्गमीटर के बीच के अन्तर की रकम का 18 प्रतिशत ।
(vii) 8.00 रु० से अधिक है किन्तु 9.00 रु० से अधिक नहीं है	76 पैसे प्रति वर्गमीटर और तन्तुकृत के प्रति वर्गमीटर मूल्य और 8.00 रु० प्रति वर्गमीटर के बीच के अन्तर की रकम का 13 प्रतिशत ।
(viii) 9.00 रु० से अधिक है किन्तु 10.00 रु० से अधिक नहीं है	89 पैसे प्रति वर्गमीटर और तन्तुकृत के प्रति वर्गमीटर मूल्य और 9.00 रु० प्रति वर्गमीटर के बीच के अन्तर की रकम का 11 प्रतिशत ।
(ix) 10.00 रु० से अधिक है ।	9.5 प्रतिशत मूल्यानुसार ।

परन्तु यदि रेयन या कृत्रिम रेशम के तन्तुकृत की निकासी, चाहे वे क्षत हुए हों या नहीं, इन तन्तुकृत के टुकड़ों, चिथड़ों, चिन्दियों या किसी भाग को काटे बिना, प्रसंस्करण कारखाने से की गई हो तो ऐसे तन्तुकृत के प्रत्येक परेषण के संबंध में संदेय शुल्क पांच प्रतिशत से कम कर दी जाएगी :

परन्तु यह और कि इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई भी बात टुकड़ों को लाग नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,

(i) "प्रसंस्कृत" शब्द से सादा रोलरों से दबाने की प्राक्रया से भिन्न सभी ऐसी प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं जो शक्ति या भाप की सहायता से सामान्यतया की जाती हैं;

(ii) "टुकड़ों" शब्द से ऐसे वास्तविक कटपीस अभिप्रेत हैं जो लम्बाई में 92 सेंटीमीटर या उससे अधिक हों किन्तु 1.5 मीटर से अनधिक हों और जो तन्तुकृत के मुख्य भाग में न हो कि केवल उसके किनारों पर क्षत हुए हों ।

[सं० 175/72]

G.S.R. 355(E).— In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 80/69-CE, dated the 1st March, 1969, namely:—

In the said notification, S. No. 3 and the entry relating thereto shall be omitted.

[No. 176/72.]

सा०का०नि० 355 (**अ**).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 80/69—के० उ० शु०, तारीख 1 मार्च, 1969 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्र० सं० 3 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि लुप्त कर दी जाएगी।

[सं० 176/72]

G.S.R. 356(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 138/70-Central Excises, dated the 13th June, 1970, namely:—

In the said notification, before the Table the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that nothing contained in this notification shall apply to fents, that is to say, *bana fide* cut pieces which are 92 centimetres or more but not exceeding 1.5 metres in length and which are damaged in the body of the fabric and not merely at the edges."

[No. 177/72.]

सा०का०नि० 356 (**अ**).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 138/70-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 जून, 1970 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी के पहले, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई भी बात टुकड़ों, अर्थात् ऐसे वास्तविक कटपीस को लागू नहीं होगी जो लम्बाई में 92 सेंटीमीटर या उससे अधिक हों किन्तु 1.5 मीटर से अनधिक हों और जो तन्तुकृत के मुख्य भाग में न कि केवल उसके किनारों पर क्षत हुए हों।"

[सं० 177/72]

G.S.R. 357(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts fents of processed rayon and artificial silk fabrics of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under sub-item (1) of Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)—

(i) from so much of the duty of excise leviable thereon under the second mentioned Act as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table; and

(ii) from so much of the additional duty of excise leviable thereon under the first mentioned Act as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

THE TABLE

S. No.	Description	Rate of duty of excises.	Rate of additional duty of excise
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Fents of processed rayon or artificial silk fabrics containing 5% or more by weight of fibre or yarn of non-cellulosic origin other than polyamide.	5% *ad valorem*	2·5% *ad valorem*
2.	Fents of processed rayon or artificial silk fabrics containing 50% or more by weight of polyamide fibre or yarn.	3% *ad valorem*	1% *ad valorem*
3.	Fents of other processes rayon or artificial silk fabrics.	1% *ad valorem*	0·5% *ad valrem*

Explanation.—For the purposes of this notification,—

(i) the expression "fents" means *bona fide* cut pieces which are 92 centimetres or more but not exceeding 1.5 metres in length and which are damaged in the body of the fabric and not merely at the edges; and

(ii) the expression "processed" means all processes which are ordinarily carried on with the aid of power or steam other than the process of calendering with plain rollers.

[No. 178/72.]

सा०का० नि० 357 (अ).—अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के प्रसंस्कृत रेयन और कृत्रिम रेशम के तन्तुकृत के टुकड़े जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 22 की उपमद (1) के अन्तर्गत आते हैं,—

(i) द्वितीय वर्णित अधिनियम के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है ; और

(ii) प्रथम वर्णित अधिनियम के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है ।

सारणी

क्र० सं०	वर्णन	उत्पाद-शुल्क की दर	अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की दर
1	2	3	4
1	प्रसंस्कृत रेयन या कृत्रिम रेशम के तन्तुकृत के टुकड़े जिन में पोलीएमाइड से भिन्न असे-तूलोसी उद्भव का तन्तु या सूत भार के अनुसार 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो ।	5 प्रतिशत मूल्यानुसार	2.5 प्रतिशत मूल्यानुसार
2	प्रसंस्कृत रेयन या कृत्रिम रेशम के तन्तुकृत के टुकड़े जिन में पोलीएमाइड तन्तु या सूत भार के अनुसार 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो ।	3 प्रतिशत मूल्यानुसार	एक प्रतिशत मूल्यानुसार
3	अन्य प्रसंस्कृत रेयन या कृत्रिम रेशम के तन्तुकृत के टुकड़े ।	एक प्रतिशत मूल्यानुसार	0.5 प्रतिशत मूल्यानुसार

स्पष्टीकरण:—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 'टुकड़ों' शब्द से ऐसे वास्तविक कटपीस अभिप्रेत हैं जो लम्बाई में 92 सेंटीमीटरस या उससे अधिक हों किन्तु 1.5 मीटर से अनधिक हों और जो तन्तुकृत के मुख्य भाग में न कि केवल उसके किनारों पर क्षत हुए हों ।

(ii) 'प्रसंस्कृत' शब्द से सादा रोलरों से दबाने की प्रक्रिया के भिन्न सभी ऐसी प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं जो शक्ति या भाप की सहायता से सामान्यतया की जाती हैं ।

[सं० 178/72]

G.S.R. 358(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 107/70-Central Excises, dated the 1st May, 1970, the Central Government hereby exempts processed rayon and artificial silk fabrics falling under sub-item (1) of Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and specified in column (1) of the Table hereto annexed from so much of the additional duty

of excise leviable thereon under the first mentioned Act as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

THE TBLE

Decreiption	Rate of additional duty.
(1)	(2)
Processed rayon or artificial silk fabrics whose value per square metre—	
(i) does not exceed Rs. 3·00	1% *ad valorem*
(ii) exceeds Rs. 3·00 but does not exceed Rs. 4·00 4·00	3 paise per square metre *plus* 7% of the differential amount between the value of the fabric per square metre and Rs. 3·00 per square metre.
(iii) exceeds Rs. 4·00 but does not exceed Rs. 5·00	10 paise per square metre *plus* 7% of the differential amount between the value of the fabric per square metre and Rs. 4·00 per square metre.
(iv) exceeds Rs. 5·00 but does not exceed Rs. 6·00	17 paise per square metre *plus* 7% of the differential amount between the value of the fabric per square metre and Rs. 5·00 per square metre.
(v) exceeds Rs. 6·00 but does not exceed Rs. 7·00	24 paise per square metre *plus* 7% of the differential amount between the value of the fabric per square metre and Rs. 6·00 per square metre.
(vi) exceeds Rs. 7·00 but does not exceed Rs. 8·00	31 paise per square metre *plus* 7% of the differerntial amount between the value of the fabric per square metre and Rs. 7·00 per square metre.
(vii) exceeds Rs. 8·00 but does not exceed Rs. 9·00	38 paise per square metre *plus* 7% of the differential amount betweebn the value of the fabric per square metre and Rs. 8·00 per square metre.
(viii) exceeds Rs. 9·00 but does ot extceed Rs. 10·00	45 paise per square metre *plus* 5% of the differential amount between the value of the fabric per square metre and Rs 9·00 per square metre.
(ix) exceeds Rs. 10·00.	5·5% *ad valorem.*

Provided that the duty payable on each consignment of rayon or artificial silk fabrics shall be reduced by five per cent. if such fabrics are cleared from the processing factory without cutting any fents, rags, chindies or any portion of these fabrics, whether damaged or not:

Provided further that nothing contained in this notification shall apply to fents.

Explanation.—For the purposes of this notification,—

(i) the expression "processed" means all processes which are ordinarily carried on with the aid of power or steam other than the process of calendering with plain rollers;

(ii) the expression "fents" means *bona fide* cut pieces which are 92 centimetres or more but not exceeding 1.5 metres in length and which are damaged in the body of the fabric and not merely at the edges.

[No. 179/72.]

B. K. AGARWAL, Under Secy.

सा० का० नि० 358 (**अ**) :—अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 107/70-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मई, 1970 को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नामक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 22 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले प्रसंस्कृत रेयन और कृत्रिम रेशम के तन्तुकृत को, जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट हैं, प्रथम वर्णित अधिनियम के अधीन उनपर उदग्रहणीय उतने अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक

सारणी

वर्णन	अतिरिक्त शुल्क की दर
(1)	(2)
ऐसे प्रसंस्कृत रेयन कृत्रिम रेशम के तन्तुकृत जिन का मूल्य प्रति वर्गमीटर,	
(i) 3.00 रु० से अधिक नहीं है	एक प्रतिशत मूल्यानुसार
(ii) 3.00 रु० से अधिक है किन्तु 4.00 रु० से अधिक नहीं है	3 पैसे प्रति वर्गमीटर और तन्तुकृत के प्रति वर्गमीटर मूल्य और 3.00 रु० प्रति वर्गमीटर के बीच के अन्तर की रकम का 7 प्रतिशत ।
(iii) 4.00 रु० से अधिक है किन्तु 5.00 रु० से अधिक नहीं है	10 पैसे प्रति वर्ग मीटर और तन्तुकृत के प्रति वर्गमीटर मूल्य और 4.00 रु० प्रति वर्गमीटर के बीच के अन्तर की रकम का 7 प्रतिशत ।
(iv) 5.00 रु० से अधिक है किन्तु 6.00 रु० से अधिक नहीं है	17 पैसे प्रति वर्गमीटर और तन्तुकृत के प्रति वर्गमीटर मूल्य और 5.00 रु० प्रति वर्गमीटर के बीच के अन्तर की रकम का 7 प्रतिशत ।
(v) 6.00 रु० से अधिक है किन्तु 7.00 रु० से अधिक नहीं है	24 पैसे प्रति वर्गमीटर और तन्तुकृत के प्रति वर्गमीटर मूल्य और 6.00 रु० प्रति वर्गमीटर के बीच के अन्तर की रकम का 7 प्रतिशत ।

(1)		(2)
(vi)	7.00 रु० से अधिक है किन्तु 8.00 रु० से अधिक नहीं है	31 पैसे प्रति वर्गमीटर और तन्तुकृत के प्रति वर्गमीटर मूल्य और 7.00 रु० प्रति वर्गमीटर के बीच के अन्तर की रकम का 7 प्रतिशत ।
(vii)	8.00 रु० से अधिक है किन्तु 9.00 रु० से अधिक नहीं है	38 पैसे प्रति वर्गमीटर और तन्तुकृत के प्रति वर्गमीटर मूल्य और 8.00 रु० प्रति वर्गमीटर के बीच के अन्तर की रकम का 7 प्रतिशत ।
(viii)	9.00 रु० से अधिक है किन्तु 10.00 रु० से अधिक नही है	45 पैसे प्रति वर्गमीटर और तन्तुकृत के प्रति वर्गमीटर मूल्य और 9.00 रु० प्रति वर्गमीटर के बीच के अन्तर की रकम का 5 प्रतिशत ।
(ix)	10.00 रु० से अधिक है	5.5 प्रतिशत मूल्यानुसार ।

परन्तु यदि रेयन या कृत्रिम रेशम के तन्तुकृत की निकासी, चाहे वे क्षत हुए हों या नहीं, इन तन्तुकृत के टुकड़ों, चिथड़ों, चिन्दियों या किसी भाग को काटे बिना, प्रसंस्करण कारखाने से की गई हो तो ऐसे तन्तुकृत के प्रत्येक परेषण के संबंध में संदेय शुल्क पांच प्रतिशत से कम कर दी जाएगी:

परन्तु यह और कि इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई भी बात टुकटों को लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,

(i) "प्रसंस्कृत" शब्द से सादा रोलरों से दबाने की प्रक्रिया से भिन्न सभी ऐसी प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं जो शक्ति या भाप की सहायता से सामान्यतया की जाती हैं;

(ii) "टुकड़ों" शब्द से ऐसे वास्तविक कटपीस अभिप्रेत हैं जो लम्बाई में 92 सेंटीमीटर या उससे अधिक हों किन्तु 1.5 मीटर से अनधिक हों और जो तन्तुकृत के मुख्य भाग में न कि केवल उसके किनारों पर क्षत हुए हों ।

[सं० 179/72]

बालकृष्ण अग्रवाल, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972